



2026:AHC:54370

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - सी सं - 9930 वर्ष 2026

श्रीमती संध्या पाल और अन्य याचिकाकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 3 अन्य प्रतिपक्षी

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता: धर्मेन्द्र कुमार सिंह

प्रतिपक्षी के अधिवक्ता: मुख्य स्थायी अधिवक्ता

न्यायालय सं - 81

माननीय न्यायमूर्ति श्री विवेक कुमार सिंह

1. याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ता श्री धर्मेन्द्र कुमार सिंह, प्रतिपक्षी संख्या-4 की ओर से अपना वकालतनामा दायर करने वाले अधिवक्ता श्री नितिन कुमार सिंह को सुना, जिसे अभिलेखों पर लिया गया है और राज्य प्रतिपक्षियों के स्थायी अधिवक्ता श्री प्रमित कुमार पाल को सुना गया।
2. प्रस्तुत रिट याचिका के माध्यम से, याचिकाकर्ताओं ने परमादेश की प्रकृति में एक रिट के लिए प्रार्थना की है जिसमें प्रतिपक्षियों को उनके शांतिपूर्ण वैवाहिक जीवन में हस्तक्षेप न करने और सुरक्षा प्रदान करने के निर्देश के लिए भी निर्देश दिया गया है।
3. याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ता बड़े हैं और उन्होंने 25.02.2026 को संस्कारों और रीति-रिवाजों के अनुसार अपनी शादी की है। उन्होंने आगे कहा कि यह उनकी पहली शादी है। आगे यह भी कहा जाता है कि उनके खिलाफ इस संबंध में कोई प्राथमिकी दर्ज नहीं की गई है और उनकी शादी किसी भी पक्ष पर दबाव के बिना उनकी स्वतंत्र सहमति से की गई थी। आगे यह आरोप लगाया गया है कि याचिकाकर्ताओं को प्रतिपक्षियों द्वारा इस प्रकार शादी करने के कारण धमकी दी जा रही है और परेशान किया जा रहा है।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



4. लता सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य 2006 क्रि.एल.जे. 3309 में, अंतरजातीय विवाह करने वाले लड़के और लड़की के माता-पिता द्वारा उत्पीड़न के मामले से निपटते हुए, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने देश भर में प्रशासन/पुलिस अधिकारियों को निम्नलिखित शर्तों में निर्देश जारी किए हैं: -

"यह एक स्वतंत्र और लोकतांत्रिक देश है, और एक बार जब कोई व्यक्ति वयस्क हो जाता है, तो वह अपनी पसंद के साथ शादी कर सकता है। यदि लड़के या लड़की के माता-पिता इस तरह के अंतरजातीय या अंतर-धार्मिक विवाह को मंजूरी नहीं देते हैं, तो वे अधिकतम यह कर सकते हैं कि वे बेटे या बेटी के साथ सामाजिक संबंधों को तोड़ सकते हैं, लेकिन वे धमकी नहीं दे सकते हैं या हिंसा के कृत्यों को नहीं कर सकते हैं या उकसाते हैं और उस व्यक्ति को परेशान नहीं कर सकते हैं जो इस तरह के अंतर-जातीय या अंतर-धार्मिक विवाह से गुजरता है। इसलिए, हम निर्देश देते हैं कि देश भर में प्रशासन/पुलिस अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि यदि कोई लड़का या लड़की जो एक वयस्क महिला या पुरुष के साथ अंतर-जातीय या अंतर-धार्मिक विवाह करता है, जो एक वयस्क है, तो दंपति को किसी के द्वारा परेशान नहीं किया जाता है और न ही धमकी या हिंसा के कृत्यों के अधीन किया जाता है, और कोई भी जो इस तरह की धमकी देता है या परेशान करता है या हिंसा के कार्य करता है, ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ कानून द्वारा प्रदान की गई आपराधिक कार्यवाही शुरू करके कार्रवाई की जाती है और ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ कानून द्वारा प्रदान की गई कड़ी कार्रवाई की जाती है।

5. भगवान दास बनाम राज्य (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली), (2011) 6 एस.सी.सी. 396 माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तर-28 और 29 में निम्नानुसार अवधारित किया:

"28. अक्सर प्यार में पड़ने वाले युवा जोड़ों को कंगारू/फर्जी अदालतों के क्रोध से बचने के लिए पुलिस लाइन या सुरक्षा गृहों में शरण लेनी पड़ती है। हमने लता सिंह मामले में कहा है कि "ऑनर किलिंग" में कुछ भी "सम्मानजनक" नहीं है, और वे सामंती दिमाग वाले कट्टरपंथी व्यक्तियों द्वारा बर्बर और क्रूर हत्याओं के अलावा और कुछ नहीं हैं। हमारी राय में ऑनर



किलिंग, चाहे किसी भी कारण से, मौत की सजा के लायक दुर्लभतम मामलों की श्रेणी में आती है। अब समय आ गया है कि इन बर्बर, सामंती प्रथाओं को खत्म किया जाए जो हमारे देश पर कलंक हैं। इस तरह के अपमानजनक, असभ्य व्यवहार के लिए एक निवारक के रूप में यह आवश्यक है। सभी व्यक्ति जो "ऑनर किलिंग" को अंजाम देने की योजना बना रहे हैं, उन्हें पता होना चाहिए कि फांसी का तख्ता उनका इंतजार कर रहा है।

29. इस निर्णय की एक प्रति सभी उच्च न्यायालयों के रजिस्ट्रार/महानिबंधक को भेजी जाए, जो इसे न्यायालयों के सभी न्यायाधीशों को परिचालित करेंगे। उच्च न्यायालयों के रजिस्ट्रार/महानिबंधक भी इसकी प्रतियां राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के सभी सत्र न्यायाधीशों/अतिरिक्त सत्र न्यायाधीशों को प्रसारित करेंगे। निर्णय की प्रतियां देश के सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के सभी मुख्य सचिवों/गृह सचिवों/पुलिस महानिदेशकों को भी भेजी जाएंगी। गृह सचिव और पुलिस महानिदेशक इसे सूचना के लिए राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के सभी एस.एस.पी./एस.पी. को प्रसारित करेंगे।

6. स्थायी अधिवक्ता द्वारा यह तर्क दिया गया है कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी उपरोक्त टिप्पणियों और निर्देशों को उत्तर प्रदेश राज्य में लागू किया जा रहा है और इस स्तर पर इस न्यायालय द्वारा आगे कोई निर्देश जारी करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि यह याचिकाकर्ताओं की केवल आशंका है कि निजी प्रतिपक्षी हिंसा का कुछ कार्य कर सकते हैं और याचिकाकर्ताओं को परेशान कर सकते हैं।

7. मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, लेकिन मामले के गुण-दोष पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, रिट याचिका को अंततः इस निर्देश के साथ निस्तारण किया जाता है कि याचिकाकर्ता एक विवाहित जोड़े होने के नाते एक साथ रहने रहने के लिए स्वतंत्र हैं और किसी भी व्यक्ति को उनके शांतिपूर्ण जीवन में हस्तक्षेप करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। यदि याचिकाकर्ताओं के शांतिपूर्ण जीवन में कोई गड़बड़ी होती है, तो याचिकाकर्ता इस आदेश की एक प्रति के साथ संबंधित वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक या पुलिस अधीक्षक से संपर्क करेंगे, जो मामले की जांच करेंगे और याचिकाकर्ताओं को तत्काल सुरक्षा प्रदान करेंगे। पुलिस प्राधिकरण यह भी सुनिश्चित



करेगा कि एक निर्दोष व्यक्ति को परेशान या अपमानित नहीं किया जाना चाहिए यदि उसने याचिकाकर्ताओं के शांतिपूर्ण वैवाहिक जीवन में कोई बाधा नहीं डाली है।

8. याचिकाकर्ताओं को यह भी निर्देश दिया जाता है कि दिनांक 25.02.2026 को विवाह को उत्तर प्रदेश विवाह पंजीकरण नियम, 2017 के प्रावधानों के अनुसार आज से दो महीने के भीतर पंजीकृत किया जाएगा और यदि याचिकाकर्ता निर्धारित समय के भीतर विवाह का पंजीकरण कराने में विफल रहते हैं तो इसमें दी गई सुरक्षा समाप्त हो जाएगी।

9. इस स्तर पर, याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ता ने बताया कि याचिकाकर्ताओं ने पहले ही अपनी शादी के पंजीकरण के लिए आवेदन कर दिया था।

10. हालांकि, यह स्पष्ट किया जाता है कि इस अदालत ने याचिकाकर्ताओं द्वारा दावा किए गए विवाह की वैधता और/या उनके विवाह प्रमाण पत्र की वास्तविकता या याचिकाकर्ताओं की सही उम्र का निर्णय नहीं दिया है। यह और स्पष्ट किया जाता है कि यह आदेश याचिकाकर्ताओं को कानून के अनुसार शुरू की गई किसी भी कार्यवाई या कार्यवाही से बचाने के लिए पारित नहीं किया गया है।

11. चूंकि याचिका का निपटान किया जा रहा है, इसलिए इससे व्यथित कोई भी व्यक्ति इसे वापस लेने के लिए आवेदन करने के लिए स्वतंत्र है, यदि आदेश तथ्यों को दबाकर या छिपाकर या झूठे बयानों पर प्राप्त किया गया है।

12. हालांकि, यह आदेश पुलिस अधिकारियों के समक्ष लंबित जांच, यदि कोई हो, के रास्ते में नहीं आएगा।

13. रिट याचिका का **निस्तारण** उपरोक्त टिप्पणियों के अनुसार किया जाता है।

मार्च 17, 2026

नितेंद्र

(न्यायमूर्ति विवेक कुमार सिंह)